एकलपीठ अवमानना याचिका संख्या-280/2006

अन्तर्गत

एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या-1435/2003

01.12.2006

माननीय न्यायाधिपति श्री शिव कुमार शर्मा

श्री विजय दत्त शर्मा अधिवक्ता वास्ते प्रार्थिनी।

श्री श्याम आर्य, राजकीय अधिवक्ता वास्ते कन्टेमनरस्।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता श्री श्याम आर्य का कथन है कि इस न्यायालय के आदेश की पालना में 1,86,334/-रूपये (अक्षरे एक लाख छियासी हजार तीन सो चौतीस) राशि का भुगतान ड्राफ्ट संख्या- 09683 दिनांक- 28.10.2006 द्वारा प्रार्थिनी को कर दिया गया है तथा इस न्यायालय के आदेश की पूर्ण पालना कर दी गई है। विद्वान राजकीय अधिवक्ता के उक्त कथन को दृष्टिगत रखते हुए अब इस अवमानना याचिका को जारी रखने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता।

परिणामत: यह अवमानना याचिका निरस्त की जाती है। प्रतिपक्षी/ कन्टेमनरस् को जारी अवमानना के नोटिस उन्मोचित किए जात हैं।

(न्या. शिव कुमार शर्मा)